

परियोजना का नाम- जनपद बदायूँ में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के किमी० 163 से 208(400) तक के भाग में दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बदायूँ के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, लो०गि०वि०, बदायूँ द्वारा प्रस्तावित जनपद बदायूँ में मेरठ बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) किमी० 163 से 208(400) तक के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल में 64.60 हेक्टेयर वन भूमि किसी भी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य/वन्यजीव गलियारा/पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। अतः वन भूमि हस्तांतरण की संस्तुति की जाती है।

(प्र. समीर कुमार)
प्रभारित निदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बदायूँ